न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 403/2018

वादीगण :–

1. समर चौधरी पुत्र श्री मूलाराम
2. सारा चौधरी पुत्री श्री मूलाराम

जातियान जाट, निवासीगण बग्गड़

तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उर्मिलादेवी पत्नी स्व. श्री रामलाल, उम्र 75 वर्ष, जाति जाट, निवासी बग्गड़, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर।
2. तहसीलदार, मेड़ता।
3. पटवारी हल्का, मेड़ता।

दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक :– 19.07.2018

1. 1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1675 रकबा 0.9850 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1676 रकबा 3.3150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1677 रकबा 1.2050 हैक्टेयर आया हुआ है। जिसकी खतौनी नकल सम्वत् 2071 से 2074 इस दावे के साथ प्रस्तुत है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 जाति से हिन्दू है व हिन्दू मिताक्षरा विधि से गवर्न होते है। वादी संख्या 1 समर चौधरी, प्रतिवादी संख्या 1 उर्मिलादेवी का पौत्र है व वादी संख्या 2 सारा चौधरी, प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

संख्या 1 उर्मिलादेवी की पौत्री है। मेड़ता की सरहद के खेत खसरा नम्बर 1675, 1676, 1677 पूर्वजों की सम्पति है। इसलिये वादीगण का जन्म से ही उक्त खसरान की जमीन पर हक व अधिकार पैदा हो गया है। मेड़ता की सरहद के खेत खसरा नम्बर 1676 रकबा 3.31 हैक्टेयर में से 2.68 हैक्टेयर पूर्वी तरफ का बंट वादीगण के हक व हिस्से में व 1677 रकबा 1.2050 हैक्टेयर आया हुआ है, उक्त खसरा का सम्पूर्ण भाग वादीगण के हक हिस्से में आया हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पारिवारिक मौखिक बंटवाड़े के हिसाब से उक्त खसरान पर एकमात्र कब्जा व काश्त वादीगण का ही है। वादीगण ही उक्त खसरान की जमीन पर काश्त कर रहे है लेकिन उक्त खसरान की जमीन में प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण की दादी का नाम होने से जमीन से संबंधित विशेष कार्य करने में वादीगण को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपनी जमीन को अधिक उपजाऊ व जमीन को समतल बनाना चाहते है लेकिन खातेदारी में प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम आने के कारण अड़चन पैदा हो रही है। वादीगण की जमीन के पास सड़क मार्ग होने से जमीन की कीमत बढ गई है, प्रतिवादीगण संख्या 1 उक्त जमीन को वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने में असहमति जाहिर करने की संभावना के कारण कोर्ट में वाद पेश करना लाजमी हो गया है। इसलिये वादीगण के नाम रेकर्ड दुरूस्त कर खातेदारी के बंट में आये हुए खेतों में नाम दर्ज करावें। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अर्जीदावा के पैरा संख्या 5 में वर्णित बंट अनुसार किया जावें। वाद के पैरा संख्या 5 के भाग क, ख में दर्ज अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का बंटवाड़ा बाई मिट्स. एण्ड

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

बांउण्डस किया जावें व अलग–अलग खातेदारी में दर्ज रेकर्ड में अमल दरामद करानें के आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादीगण संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है और प्रतिवादी संख्या 3 पटवारी हल्का मेड़ता आदेश की पालना हेतु रेकर्ड में संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 5 के अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा ग्राम मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 1325 की प्रति पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 11.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है। प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब पेश कर दावे की ताईद की है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त खसरान की भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

आदेश

6.(1) **वादीगण के बंट में :–** मौजा मेड़ता की सरहद के खेत खसरा नम्बर 1676 रकबा 3.3150 हैक्टेयर में से 2.68 हैक्टेयर पूर्वी तरफ की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी तथा मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 1677 रकबा 1.2050 हैक्टेयर भूमि का सम्पूर्ण भाग वादीगण के बंट व खातेदारी में रहेगा।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, अन्यथा आदेश, विधिक बाधा नही हो व भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner